प्रेस नोट
दिनांक 15.11.2025

थाना परसपुर पुलिस द्वारा बलवा एवं जानलेवा हमला करने के 03 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री राजेश सिंह के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0–465/2025 धारा 191(2),191(3),115(2),352,351(3),109(1) बीएनएस से सम्बन्धित 03 आरोपी अभियुक्तों–01. अरविन्द सिंह, 02. देव प्रताप सिंह, 03. राहुल निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 14.11.2025 को वादी अवधेश प्रताप सिंह निवासी नरायनपुर जैसिंह, थाना परसपुर जनपद गोण्डा द्वारा थाना परसपुर में लिखित तहरीर दी गयी कि मछली पालन तालाब को लेकर विपक्षी अरविन्द सिंह, योगेश सिंह, राहुल निषाद, देव प्रताप सिंह, भानु प्रताप सिंह तथा 10/15 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पंचवटी मंदिर के पास लाठी–डंडा व धारदार हथियारों से प्रार्थी पक्ष पर हमला किया किया है। घटना में जयप्रकाश व सत्यप्रकाश को गंभीर चोटें आयी है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना परसपुर में सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 15.11.2025 को थाना परसपुर पुलिस द्वारा घटना में सलिप्त 03 आरोपी अभियुक्तों–01. अरविन्द सिंह, 02. देव प्रताप सिंह, 03. राहुल निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. अरविन्द सिंह पुत्र सत्यनारायण सिंह, निवासी ग्राम नरायणपुर जैसिंह, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।
02. देव प्रताप सिंह पुत्र राम प्रसाद सिंह, निवासी ग्राम विश्नोहरपुर, थाना नवाबगंज, जनपद गोण्डा।
03. राहुल निषाद पुत्र श्यामसुन्दर, निवासी ग्राम नरायणपुर जैसिंह, थाना परसपुर, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0स0–465/2025 धारा 191(2),191(3),115(2),352,351(3),109(1) बीएनएस थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीम–

01. उ0नि0 अंकित सिंह।
02. का० अजीत सिंह।
03. का० प्रदीप सिंह।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 15.11.2025

यातायात माह के अन्तर्गत गोण्डा पुलिस द्वारा लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज में व्यापक यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में यातायात माह–नम्बर 2025 के अंतर्गत जनपद में सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन हेतु निरंतर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज दिनांक 15.11.2025 को क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज में एक विशेष यातायात जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में टीएसआई राकेश सिंह द्वारा कॉलेज के लगभग 200 छात्र–छात्राओं को सड़क सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। छात्रों को यातायात संकेतों की पहचान, हेलमेट एवं सीटबेल्ट के अनिवार्य उपयोग, ओवरस्पीडिंग और ओवरलोडिंग के दुष्परिणाम, मोबाइल फोन का वाहन चलाते समय प्रयोग न करने तथा पैदल चलते समय सड़क सुरक्षा के मानकों के बारे में जागरूक किया गया। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में 50 स्काउट गाइड के छात्र–छात्राएँ भी सक्रिय रूप से उपस्थित रहे। उन्हें "यातायात मित्र" के रूप में समाज में जागरूकता फैलाने की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में भी अवगत कराया गया। कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों द्वारा छात्रों से सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने एवं अपने परिवार तथा समाज के अन्य लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करने की अपील की गयी साथ ही बताया गया कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाएँ नियमों की अनदेखी के कारण होती हैं, जिन्हें केवल सतर्कता और नियमों के पालन से रोका जा सकता है। यातायात माह के दौरान गोण्डा पुलिस द्वारा विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं जनसमुदाय के बीच इसी प्रकार के जन–जागरूकता कार्यक्रम आगे भी निरंतर रूप से आयोजित किए जाते रहेंगे, जिससे जनपद में सुरक्षित एवं अनुशासित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।

महत्वपूर्ण संदेश–

01. वाहन चलाते समय मोबाइल फोन अथवा इयरफोन का प्रयोग न करें।
02. नाबालिग बच्चों द्वारा वाहन चलाना पूर्णतः वर्जित है।
03. दोपहिया वाहन चालक एवं पीछे बैठी सवारी दोनों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है।
04. चारपहिया वाहनों में सीट बेल्ट का प्रयोग अनिवार्य है।
05. निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियाँ बैठाना व निर्धारित गति सीमा से अधिक वाहन चलाना दण्डनीय अपराध है।
06. दायें–बायें मुड़ते समय इंडिकेटर का प्रयोग करें।
06. दोपहिया वाहन पर दो से अधिक सवारी न बैठाएं।
07. वाहन निर्धारित स्थान पर ही पार्क करें।
08. वाहनों के आगे एवं पीछे रिफ्लेक्टर टेप लगाना आवश्यक है।
09. एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड वाहनों को जाने हेतु पहले रास्ता प्रदान करें।
10. नशे अथवा मादक पदार्थों का सेवन कर वाहन न चलाएं।
11. सड़क पर वाहन चलाते समय स्टंट न करें।
12. सड़क दुर्घटना की स्थिति में घायल व्यक्तियों की मदद करें एवं 112 डायल कर सूचना दें।

मीडिया सेल, गोण्डा।